पत्रांक-बि०प्र०सु०मि०सो०/सू०क०अ०-38/2024 सो०- 785

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी

(सामान्य प्रशासन विभाग)

Shri Kareem Ansari,
Yugantar, (QFMCPMGQ)
3-4-142/6, Barkatpura,
Hyderabad,
Pin-500027
eMail-qfmcpmgq@yourti.in

पटना, दिनांक- 16/05/2024

विषय:- **सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयक आपके सूचनावेदन पत्र में याचित सूचना की उत्तर सामग्री के रुप में मिशन सोसाइटी का पीत पत्र (गै0स0प्रे0सं0-28 दिनांक-24.04.2024, अनु0 सहित) की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन

अमीत कुमार
16.05.24

(अमीत कुमार)

लोक सूचना पदाधिकारी।

D:\Vijay Data\Vjykr\Vijay.EXE\RTI\Draft 2.Docx

संचिका सं0- BPSM/RTI/2021
दिनांक- 24.04.2024

पीत पत्र के बदले में

श्री अमीत कुमार
लोक सूचना पदाधिकारी
बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना

कृपया अपने पत्र, पत्रांक-बि.प्र.सु.मि.सो./सू.क.अ.-38/2024, सो0-676, दि0- 15.04.2024 का संदर्भ ग्रहण किया जाय। आवेदक श्री करीम अंसारी, Yugantar (QFMCPMGQ), 3-4-142/6, Barkatpura, Hydrabad 500027, ईमेल आई.डी. qfmcpmgq@yourti.in द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई वांछित सूचना की उत्तर सामग्री पीत पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। कृपया।

अनु.यथो.।

(विनायक मिश्र)
24/04/24
प्रशासनिक पदाधिकारी

बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी
पं.स.प्र.सं.- 28
दिनांक 29/04/2024

सूचनावेदक आई0डी0 सं.- 24443/14.03.2024, श्री करीम अंसारी, Yugantar (QFMCPMGQ), 3-4-142/6, Barkatpura, Hydrabad 500027, ईमेल आई.डी. qfmcpmgq@yourti.in द्वारा दिनांक-09.03.2024 में मांगी गई सूचना पर उत्तर सामग्री

मांगी गई सूचना	उत्तर सामग्री
1.Please provide details on the legal basis or any government notification allowing the Bihar Government's RTPS website to make Aadhar mandatory for availing services.	1. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं का प्रदायगी हेतु आवेदकों से अनिवार्य रूप से आधार कार्ड प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है। इससे संबंधित किसी प्रकार की अधिसूचना इस कार्यालय से निर्गत नहीं होती है।
2. Has the Bihar Government received any communication or directive from the central governmrnt or any other authority regarding the mandatory requirement of Aadhar on the RTPS website. If yes, please provide a copy of the communication or directive.	2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को निर्गत करने के क्रम में आवेदकों से अनिवार्य रूप से आधार कार्ड उपलब्ध कराने संबंधित कोई भी पत्र बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय को केंद्र सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।
3. What measures has the Bihar government taken to comply with the supreme court's orders regarding the non-mandate of Aadhar for availing government services.	3. वांछित उत्तर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4. Please furnish details of any complaints or representations received by the Bihar Government regarding the mandatory requirement of Aadhar on the RTPS website and the actions taken in response to such complaints or representations.	4. वांछित उत्तर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय से संबंधित नहीं है।
5. Provide information on any steps being taken or planned by the Bihar government to ensure compliance with the Supreme Court's orders regarding the use of Aadhar.	5. वांछित उत्तर बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी कार्यालय से संबंधित नहीं है।

(विनायक मिश्र)
प्रशासनिक पदाधिकारी